न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—17 / 2021 (2021 / 40) वाद पत्र

अनवान

1—हीरा पिता किशना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरिश टेलर — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—21 / 09 / 2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भटेवर पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 408 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि अन्य आराजियात के साथ खातेदार फतेहलाल, रामस्वरूप पिता रामकंवार महाजन निवासी बोराणा के नाम से दर्ज होकर उनके ही कब्जे में होकर स्थित थी। इसी प्रकार ग्राम भटेवर पटवार मण्डल भींटा के बैरून हल्का आबादी में साबिक आराजी संख्या 407 रकबा 2 बिस्वा गे.मु. आचा स्थित होकर उसमें रामकंवार पिता धनराज महाजन निवासी बोराणा का 1/2 हिस्सा व हीरा पिता किशना गुर्जर निवासी भटेवर का 1/2 हिस्सा निहित होकर उनके कब्जे में है। दिनांक 24.08.1992 को आराजी संख्या 408 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि को खातेदार फतेहलाल, रामस्वरूप पिता रामकुवांर महाजन निवासी बोराणा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के वादी ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। इसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये गे.मु. आचा की साबिक आराजी संख्या 407 रकबा 2 बिस्वा भूमि में निहित रामकुवांर पिता धनराज महाजन निवासी बोराणा से उनके वारीस ने कब्जा प्राप्त किया तथा 1/2 हिस्सा पहले से ही वादी का कब्जा था जिससे सम्पूर्ण हिस्से गे.मु. आचा में निहित हो गया। मौके पर अभी काबिज है और भूमियों का उपयोग उपभोग कर काश्त लाभ ले रहा है। उक्त वर्णित भूमियां व गे.मु. आचा वादी द्वारा खरीद करने के पश्चात् उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 24.08.1992 की प्रति पटवारी हल्का को तत्समय ही दे दी किन्तु नामान्तकरण बिकाव के आधार पर मुझे वादी के ना[illegible] और न ही फैसल किया गया। जिससे उक्त भूमियां व गे.मु. आचा अभी तक [illegible] के नाम पर ही दर्ज चले आ रहे हैं जबकि वादी ने भूमिया जरिये र[illegible] विक्रय पत्र [illegible] क्रय की है, और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है। जिससे उक्त वर्णित [illegible] की वादी तन्हा [illegible]र है। इसकी घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी भी है। [illegible]हसील रायपुर का [illegible]ू—प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम भटेवर का भी नवीन बन्दोबस्त किया गया, जिसमें साबिक आराजी संख्या 408

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 1316 रकबा 0.18 हेक्ट., 1524 रकबा 0.03 हैक्ट., 1525 रकबा 0.23 हेक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.44 हैक्ट व गेमु आचा की साबिक आराजी संख्या 407 रकबा 2 बिस्वा भूमि के नवीन आराजी नम्बर 1523 रकबा 0.02 हेक्टः कायम किये गये जो अभी भी वादी के नाम पर नामान्तरणकरण नहीं खुलने से विक्रेताओं के नाम पर ही दर्ज चले आ रहे हैं, जबकि उक्त वर्णित नम्बरान में विक्रेताओं व उनके वारिसान का कोई हक एवं हिस्सा शेष नहीं रहा है, और न ही उनका कोई कब्जा ही है। विकेतागण गुजरात व महाराष्ट्र में धन्दा करते जिनका कोई अता पता नही है। नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज करने फैसल करने में प्रतिवादी की भारी लापरवाही रही है कई बार वादी इनके कार्यालयो में जा चुका है किन्तु हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। अन्त में प्रतिवादी ने कहा कि सेटनमेन्ट हो जाने से सक्षम न्यायालय से डिकी व आदेश लाने पर ही नामान्तकरण दर्ज किया जायेगा। इसलिये वाद पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि घोषणात्मक डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि उक्त वाद वर्णित नवीन आराजियात का वादी तन्हा खातेदार काश्तकार है। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। इन्द्राज कराया जाकर इन्द्राज दुरस्ती करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08/02/2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर पेशी के दौरान उपस्थित हो अवगत कराया कि प्रकरण में राजकीय हीत प्रभावित नही है। वादी की खरीद शुदा आराजी है जिसमें पैरोकार सरकार को कोई आपत्ति नही है।

वादपत्र के समर्थन में वादी की ओर से बयान के साथ साथ रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति प्रदर्श 1, साबिक जमाबन्दी आराजी संख्या 407 प्रदर्श 2, विकेता के खाते की नकल प्रदर्श 3, मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रदर्श 4, वर्तमान जमाबन्दी प्रदर्श 5 और 6 प्रस्तुत किये।

अधिवक्ता की बहस सुनी गई

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मूल खातेदार के द्वारा वादी के पक्ष में भूमि विक्रय की गई है। विक्रय पत्र में साबिक आराजी दर्ज है नवीन सेटलमेन्ट होने से साबिक आराजियात के नवीन नम्बर कायम हुए जिससे तहसीलदार रायपुर के द्वारा नामान्तकरण दर्ज नही [illegible] ताजा में वाद पेश किया गया हैं। वादी की कय शुदा भूमि है वाद डिकी फरमावे [illegible]

मैंने पत्रावली का अवलोकन [illegible] पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड अधिवक्ता की बहस पर मनन करने से पाया कि ग्राम मेटवर की साबिक आराजी संख्या 408 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि फतहलाल, रामस्वरूप पिता रामकंवार महाजन के नाम दर्ज रेकार्ड है इसी के साथ साबिक आराजी संख्या 407 रकबा 2 बिस्वा भूमि रामकवांर पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

धनराज के नाम 1/2 एवं 1/2 हिस्सा वादी के नाम दर्ज रेकार्ड है। साबिक आराजी संख्या 408 विक्रेता के नाम दर्ज रेकार्ड है और आराजी संख्या 407 विक्रेता के पिता नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी का मुख्य कथन है कि दौरान विक्रय पत्र विक्रेता के पिता की मृत्यु हो जाने से बाद में विरासत का नामान्तकरण क्रेता के पक्ष में दर्ज नही हुआ जबकि मूल खातेदार फोत हो चुका था। नवीन भू प्रबन्ध होने से साबिक आराजियात के नवीन नम्बर दर्ज होने से रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं हाल जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बरान का मिलान नही होने से तहसीलदार रायपुर द्वारा नामान्तकरण कार्यवाही नही की गई है जबकि वादवर्णित आराजियात वादी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय शुदा भूमि है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 1316 रकबा 0.18 हेक्ट., आराजी संख्या 1524 रकबा 0.03 हैक्ट., आराजी संख्या 1525 रकबा 0.23 हेक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.44 हैक्ट व आराजी संख्या 1523 रकबा 0.02 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.09.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–17 / 2021 (2021 / 40) वाद पत्र

अनवान

1–हीरा पिता किशना गुर्जर निवासी भटेवर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम भटेवर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित नवीन आराजी नम्बर 1316 रकबा 0.18 हेक्ट., आराजी संख्या 1524 रकबा 0.03 हैक्ट., आराजी संख्या 1525 रकबा 0.23 हेक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.44 हैक्ट व आराजी संख्या 1523 रकबा 0.02 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिकी जारी होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिकी आज दिनांक 21.09.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

21.9.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:32:52 IST
Reason: SelfAttested